न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 432/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
श्रीमती बदनकंवर पत्नी छेलसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम बाबरा तहसील रायपुर जिला पाली		1– हरि सिह पुत्र रेवत सिह जाति राजपूत निवासी खुडियाला, तहसील बालेसर जिला जोधपुर 2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–8–2013 जो न्यायालय तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रकरण संख्या 3/2012 अनवान हरि सिह बनाम राजस्थान सरकार वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से ।
2–श्री छोटुसिह सोढा अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 10–1–2018

इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 हरि सिह ने ग्राम पाबूनगर के नामांतरकरण संख्या 385 स्वीकृति दिनांक 2–2–2010 के विरूद्ध प्रथम अपील अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर पारित निर्णय दिनांक 24–10–2011 के द्वारा उक्त म्युटेशन संख्या 385 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार शेरगढ को निर्णय मे दिये गये निर्देशो की पालना हेतु रिमाण्ड किया गया । जिसकी पालना मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बालेसर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–8–2013 पारित करने पर उक्त निर्णय के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के खातेदार रूपकंवर स्व0 लालसिह की पत्नी थी जिसके फौत होने पर अपीलाधीन भूमि ग्राम पाबुनगर के खसरा नंबर 179 रकबा 22 बीघा 02 बिस्वा भूमि का फोतेदगी का नामांतरकरण संख्या 385 मृतका की पुत्री अपीलांट बदनकंवर जो कि मृतका की प्रथम श्रेणी की वारिस होने से उसके पक्ष मे स्वीकृत हुआ ।

उक्त नामांतरकरण के विरूद्ध प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 हरि सिह द्वारा अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर के समक्ष पेश की जाने पर प्रथम अपील को अपने निर्णय दिनांक 24–10–2011 के द्वारा स्वीकार करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 385 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को निर्णय मे दिये गये तीन निर्देशो के साथ रिमाण्ड किया कि–

1– मजमे आम ग्राम सभा मे यह प्रकरण रखकर परीक्षण किया जाये कि क्या श्रीमती बदन कंवर पत्नी छेल सिह वस्तुतः मृतका रूपकंवर पत्नी लालसिह की जायज पुत्री है –
2– यदि संदेह से परे स्थिति स्पष्ट न हो, विस्तृत परीक्षण व साक्ष्यो के आधार पर कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय मे वाद दर्ज करवाने हेतु सुझाव देकर तद्नुसार निस्तारित करे–
3– यदि संदेह से परे श्रीमती बदनकंवर पत्नी छेलसिह मृतक रूपकंवर पत्नी लालसिह की पुत्री होना पाया जावे तो पूर्व मे रूपकंवर के लाऔलाद फौत का अंकन करने वाले कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित कर भेजी जाये ।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बालेसर ने अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर के निर्णय दिनांक 24–10–2011 मे दिये गये निर्देशो की पालना मे कोई स्पीकिंग आदेश पारित नही किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही माना जा सकता है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे जाच अनुसार अपीलार्थियां बदनकंवर को मृतक रूपकंवर पत्नी लालसिह की जायंदा पुत्री होना तो माना है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 हरिसिह मृतक खातेदार रूपकंवर पत्नी लालसिह का कोई वारिस नही होने से उसे अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश करने का अधिकार ही नही था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, वह समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे एकतरफ तो अपीलार्थियां को मृतक खातेदार रूपकंवर की पुत्री होना माना है साथ ही अपीलाधीन निर्णय मेरूपकंवर के वारिसो का नामांतरकरण दर्ज करने से पूर्व सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर उतराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने की भी फाईंडिंग दे दी, जबकि न्यायालय अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर के निर्णय मे इस प्रकार के कोई निर्देश नही थे तथा वकील अपीलांट ने उक्त फाईंडिंग के संबंध मे कथन किया कि भारतीय उतराधिकार अधिनियम के अनुसार उतराधिकार प्रमाण पत्र केवल चल सम्पति का ही जारी किया जा सकता है न कि अचल सम्पति का, वर्तमान मामले मे अचल सम्पति बाबत विवाद है जिसके बाबत उतराधिकार प्रमाण पत्र किसी भी न्यायालय से जारी नही किया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान के विपरीत अपीलाधीन निर्णय मे जो फाईंडिंग दी है, वह निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने अपनी इस बहस के समर्थन मे आर.आर.टी. 2013 (1) पेज 44 की निर्णय नजीर पेश की ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा तहसीलदार बालेसर द्वारा पारित निर्णय दिनाक 14–8–2013 को निरस्त करने तथा अपीलार्थियां के नाम नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बालेसर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत रिमाण्ड प्रकरण मे अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर द्वारा

पारित निर्णय मे दिये गये निर्देशो की पालना मे विधिवत जांच एवं उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अपीलार्थियां अपने आप को रूपकंवर की एकमात्र जायंदा पुत्री होना बताते हुए अपीलाधीन म्युटेशन के विरूद्ध अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर के समक्ष म्युटेशन अपील पेश की जिसके साथ शपथपत्र मे भी एक मात्र पुत्री होना बताया है जबकि अपीलार्थियां के दो सगी बहने भी है इसलिए अपीलार्थियां ने गलत शपथपत्र पेश करते हुए जो अपील पेश की थी, वह गलत तथ्यो के साथ प्रस्तुत की होने से निरस्त योग्य थी ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष जांच के दौरान ग्राम पंचायत खुडियाला के प्रमाण पत्र दिनांक 17–8–2012 मे यह प्रमाणित किया गया है कि अपीलांट बदनकंवर स्व0 रूपकंवर की पुत्री नही है, न ही खुडियाला की निवासी है तथा मतदाता सूची एवं राशन कार्ड मे इनका नाम अंकित नही है जबकि ग्राम पंचायत खुडियाला के ग्राम सेवक व सरपंच द्वारा जारी वारिसान के प्रमाण पत्र मे रूपकंवर के तीन पुत्रियां उम्मेदकंवर, रामकंवर एवं बदनकंवर बताई है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बालेसर ने अपीलाधीन निर्णय मे रूपकंवर के वारिसो का नामांतरकरण दर्ज करने से पूर्व विस्तृत परीक्षण एवं साक्ष्यो के आधार पर सक्षम न्यायालय से उतराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जो फाईंडिंग दी है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त निर्देशो की पालना तो नही की बल्कि इस न्यायालय मे मौजुदा अपील पेश की है, जिसे खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि रेस्पा0 हरि सिह मृतक लालसिह का नजदीकी भाई है तथा लालसिह के लाऔलाद फोत होने से उसके खातेदारी की भूमि मे उसका हक अधिकार बनता हे इसलिए रेस्पो0 को अपीलाधीन भूमि के संबंध मे स्वीकृत हुए म्युटेशन के विरूद्ध अपील पेश करने का अधिकार था ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष उत्पन्न विवाद बिन्दु के मध्यनजर सिविल न्यायालय से उतराधिकार प्रमाण पत्र हासिल किये बिना किसी प्रकार का पुख्ता विनिश्चय नही दिया है, और न ही उपलब्ध साक्ष्यो एवं तथ्यो के आधार पर दिया जा सकता था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय मे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने उक्त अपील के संबंध मे उनके द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत पदवार लिखित जवाब एवं प्रारंभिक आपत्तियो को अपनी बहस का अंग सुमार करते हुए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो एवं वर्तमान अपील मे रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं प्रारंभिक आपत्तियो का तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बालेसर

द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–8–2013 का अध्ययन किया साथ ही वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे प्रस्तुत निर्णय नजीर का भी अवलोकन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बालेसर ने अपीलाधीन निर्णय मे अपीलार्थियां बदनकंवर को रूपकंवर की पुत्री होना माना है साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की जांच कार्यवाही के दौरान स्व0 खातेदार रूपकंवर के अपीलार्थियां बदनकंवर के अलावा अन्य दो पुत्रियां उम्मेदकंवर एवं रामकंवर होने का भी तथ्य प्रकट हुआ है परंतु तहसीलदार द्वारा अपने निर्णय मे उतराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने बाबत जो फाईंडिंग दी है, वह समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

अतः अपीलार्थियां की उक्त अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बालेसर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–8–2013 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बालेसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक रूपकंवर के विधिक वारिसान की विस्तृत जांच कर उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए मृत रूपकंवर के खातेदारी की भूमि के संबंध मे पुनः नये सिरे से म्युटेशन की कार्यवाही करे ।

रेस्पो0 संख्या 1 जो कि मृतक रूपकंवर पत्नी लालसिह के प्रथम श्रेणी के वारिस नही होने से यदि अपीलाधीन भूमि मे स्व0 लालसिह के नजदीकी भाई होने के आधार पर कोई हक अधिकार रखते है तो अपने अधिकारो की घोषणा का वाद सक्षम न्यायालय मे पेश करने हेतु स्वतंत्र है ।

निर्णय आज दिनांक 10–1–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर